

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
::मंत्रालय::  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014

क्रमांक एफ-11-71/2014-बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा प्रदेश में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधीनस्थ एजेन्सीज को विभिन्न विभागों के अधिकारों/सेवाओं के प्रत्यायोजन हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार कॉलम 1 में उल्लेखित सेवाओं/अधिकारों का प्रत्यायोजन कॉलम-3 में उल्लेखित अधिकारी को किया जाता है। उक्त कार्य में सहायता हेतु कॉलम-4 में उल्लेखित अधिकारी को एम.पी.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि.भोपाल/समस्त मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जावेगा। सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क की वसूली एम.पी.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि.भोपाल/समस्त मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा की जाकर उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग को की जाएगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एम.एस. सोलंकी)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ. क्रमांक एफ-11-71/2014-बी-ग्यारह: भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014  
प्रतिलिपि:-

- 1/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, भोपाल।
- 2/ प्रमुख सचिव, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
- 3/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन.....  
(समस्त विभाग)।
- 4/ उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5/ प्रबंध संचालक, म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि./ एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6/ संभागायुक्त.....(समस्त)।
- 7/ कलेक्टर..... (समस्त)।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भवन निर्माण की अनुमति

स.क.	सेवा का विवरण	प्रचलित प्रावधान	प्रस्तावित प्रत्यायोजन	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारी का पदनाम
	1	2	3	4
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 172 अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित (diverted) भूमि पर विकसित किये जाने वाले उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 55 अंतर्गत भवन निर्माण की अनुमति	संबंधित ग्राम पंचायत	अधिकारिता रखने वाले औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का प्रबंध संचालक	-
2.	नगरीय क्षेत्रों में उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र	प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति	अधिकारिता रखने वाले औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का प्रबंध संचालक	-
3.	नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्लानिंग क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित क्षेत्र हेतु म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 295 अंतर्गत भवन निर्माण की अनुमति	संबंधित नगरीय निकाय	अधिकारिता रखने वाले औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का प्रबंध संचालक	-

औद्योगिक परियोजना हेतु चयनित भूमि के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा

स.क.	सेवा का विवरण	प्रचलित प्रावधान	प्रस्तावित प्रत्यायोजन	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारी का पदनाम
	1	2	3	4
1	नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्लानिंग एरिया में उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र के ले-आउट का अनुमोदन/संशोधन (धारा-27 तथा 30, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम)	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	प्रबंध संचालक, ट्रायफेक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश स्तर के पद से अनिम्न अधिकारी
2.	नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्लानिंग एरिया में निजी निवेशकों द्वारा प्रस्तावित उद्योग/औद्योगिक क्षेत्र के ले-आउट के अनुमोदन/संशोधन की अनुमति। (धारा-29 तथा 30, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम)	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	प्रबंध संचालक, ट्रायफेक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश स्तर के पद से अनिम्न अधिकारी



पर्यावरण संबंधी स्वीकृति (Consent to establish and operate)

स.क	सेवा का विवरण	प्रचलित प्रावधान	प्रस्तावित प्रत्यायोजन	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारी का पदनाम
	1	2	3	4
1.	मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योग हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, धारा 25/26, जल (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं धारा 21/22, वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.	सदस्य सचिव, एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड	एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी स्तर के पद से अनिम्न अधिकारी द्वारा जो ट्रायफेक में संलग्न होंगे एवं प्रबंध संचालक, ट्रायफेक के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेंगे	—



—